मध्यप्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ : महिलाओं के विकास के संदर्भ में

डॉ. बिन्दु श्रीवास्तव
प्राध्यापक - अर्थशास्त्र
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

हर धर्म में पुरुषों से पहले महिलाओं का स्थान आता है, विश्व को ईश्वर ने रचा है लेकिन उसे नारी ही चलायमान रखती है नारी के बिना ईश्वर भी अधूरे हैं स्वयं अर्धनारीश्वर इसका प्रमाण है। मानव सभ्यता के सूर्य का उदय जिस दिव्य भूमि में फैला वह पुण्य धरा भारत भूमि में जिस देवी एवं शक्ति की आराधना की है वह है नारी। नारी ही महिमामयीशक्ति के रूप में पूज्य रही है जिसकी वन्दना ऋषि मुनियों एवं स्वयं देवताओं ने भी की है अर्थात् पुरातन काल से लेकर आज तक ही यात्रा में महिलाओं ने हमेशा पुरुषों का साथ देकर अपने विकास की यात्रा की है।

अध्ययन का उद्देश्य

अध्ययन का मुख्य उद्देय महिलाओं के विकास के लिए म.प्र. सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का अध्ययन करना है।

परिकल्पना

म.प्र. सरकार महिलाओं के विकास के लिए जो कार्यक्रम एवं कल्याणकारी योजनाएं चला रही है उनकी जानकारी एवं उनसे होने वाले लाभों का शत्-प्रतिशत भाग यदि जरूरतमंद बालिकाओं और महिलाओं तक पहुंचाया जाए तो निश्चय ही सरकारी प्रयास बालिकाओं और महिलाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करके उन्हें सशक्त बनाने में कामयाब हो सकेंगे।

नारी हमेशा से अपने को सशक्त बनाने में लगी हुई है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ इसी से मेल खाता है समाज में महिलाओं की प्रस्थिति और उनके अधिकारों में वृद्धि को ही महिला सशक्तिकरण कहते हैं। महिलाओं की दिशा, दशा, सुरक्षा और उन्हें सशक्त बनाने के लिए भी सरकार विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है ताकि महिलायें जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके इसी उद्देय की पूर्ति हेतु 1995 में मानव संसाधन विकास मंत्रलय का दर्जा गया है इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की विकास संबंधी विभिन्न नीतियों, कानूनों का निर्माण करना है ताकि महिलाएं आत्म निर्भर और सक्षम बन सकें।

मध्यप्रदेश सरकार भी महिलाओं के विकास के लिए कटिबद्ध है और समय-समय पर महिलाओं के विकास रोजगार सुरक्षा एवं संवर्द्धन के लिए विभिन्न कल्याणी योजनाओं का निर्माण कर रही है जो निम्न प्रकार से है -

(1) **लाड़ली लक्ष्मी योजना** - बालिकाओं के जन्म को लेकर जनसाधारण में एक सकारात्मक सोच उनके शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार आए इस दृष्टि से म.प्र. में 1/4/2007 से लाड़ली लक्ष्मी

ISSN 2395-051X

योजना लागू की गई। इस योजना का लाभ उन्हें प्राप्त होगा जो म.प्र. के मूल निवासी हो और आयकर की श्रेणी में न आते हों तथा द्वितीय बालिका होने पर लाभ तभी होगा जबकि माता या पिता दोनों में एक ने परिवार नियोजन अपना लिया हो। आवेदन एवं पंजीकरण होने के उपरांत बालिका के नाम से शासन की ओर से 1,18,000 का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। राशि का वितरण समय-समय पर होगा पंजीकरण के समय से लगातार पाँच वर्शों तक 6-6 हजार रुपये म.प्र. लाड़ली लक्ष्मी योजना निधि में जमा हो जाएंगे फिर बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 2000/9वीं में प्रवेश लेने पर 4000/11वीं में 6000/ तथा 12वीं में 6000/ ई पैमेंट के माध्यम से किया जाएगा और अंतिम भुगतान 1 लाख रुपये बालिका की 21 वर्ष की आयु में होगा। परन्तु शर्त यह रहेगी कि विवाह 18 से कम आयु में नहीं होगा। अब तक 24 लाख 5 हजार से ज्यादा बालिकाओं को इससे लाभान्वित किया गया है।

(2) **गाँव की बेटी और प्रतिभा किरण योजनाओं** में स्कालरशिप गाँव की बेटी के लिए 50001 एवं प्रतिभा किरण योजना 1000 की राशिप्रदत्त की जाती है। आवागमन योजना के तहत 5 कि.मी. दूर रहने वाली छात्राओं के प्रतिदिन 5 रुपये के हिसाब से योजना का लाभ दिया जाता है। महाविद्यालय में आने जाने के लिए आवागमन योजना के तहत भी छात्रवृत्ति दी जाती है। 85 प्रतिशत से अधिक वाली छात्रओं को 25000/- नगद अथवा लेपटाप। स्कूल शिक्षा में मुफ्त किताबें, गणवेश एवं साईकिल प्रदान की जाती है ताकि बालिकाएं अच्छी तरह शिक्षा प्राप्त कर सकें।

(3) **ग्रामीण महिला सशक्तिकरण तेजस्विनी कार्यक्रम** - प्रदेश के 6 जिलों बालाघाट, मण्डला, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर एवं डिण्डोरी में 2 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ दिया जा चुका है। कुल 16 हजार से अधिक स्व-सहायक समूह का गठन किया गया है।

(4) **शौर्यादय** - बालिकाओं की युगानुकूल गरिमा के लिए 60 हजार से अधिक दलों का गठन।

(5) **बाल विवाह रोकने के लिए लाडो अभियान** - बाल विवाह रोकने के लिए बनाए गए कानून की असफलता को देखते हुए म.प्र. सरकार ने लीक से हटकर एक पहल की इसके तहत् इस कुप्रथा को रोकने के लिए समाज के प्रमुख लोगों को जोड़कर एक अभियान चलाया जिसका नाम रखा गया - "लाड़ो अभियान" इसे 2013 से शुरू किया गया है। बाल विवाह रोकने के लिए कोर ग्रुप बनाए गए। एवं जागरुकता शिविर लगाए गए। इस अभियान के अंतर्गत 2017 तक 7 हजार स्थानों पर बाल विवाह रोके गये।

(6) **मुख्यमंत्री कन्यादान योजना** - मुख्यमंत्री की पहल पर यह योजना शुरू की गई है गरीब जरूरतमंद बेसहारा परिवारों को उनकी बेटियों/विधवाओं/तलाकशुदाओं की शादी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस योजना का उद्देश्य है कि घर की चीजें और सामूहिक विवाह खर्चों के लिए 15000/- की सहायता दी जाती है, लड़की की शादी 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के साथ ही सामूहिक विवाह में यह सहायता दी जाती है, 8 मार्च 2017 तक 4 लाख विवाह/निकाह सम्पन्न हुए।

(7) **मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना** में विपत्तिग्रस्त पीड़ित कठिन परिस्थितियों में निवास कर रही महिलाओं व किशोरी बालिकाओं का आर्थिक सामाजिक उन्नयन मुख्य लक्ष्य है।

(8) वन स्टाप सेन्टर (सखी) हिंसा से पीड़ित महिलाओं के समाधान हेतु प्रदेश के 18 जिलों में सखी का संचालन किया जा रहा है तथा उनकी सुनवाई की जा रही है ताकि उन्हें सुरक्षा प्राप्त हो सके।

(9) **स्वागतम् लक्ष्मी योजना** - महिलाओं के प्रति सोच और व्यवहार में बदलाव, लिंगानुपात में सुधार और कन्या भ्रूण हत्या के प्रति जागरूकता के लिए 13 हजार से अधिक बालिकाओं को सम्मानित किया गया है ताकि बालिकाओं के प्रति समाज की सोच सकारात्मक बन सके।

(10) **लालिमा अभियान** - किशोरी एवं सभी महिलाओं विशेषकर गर्भवती और धात्री माताओं के रक्ताल्पतता को दूर करने हेतु मिशन मोड़ अभियान चलाया जा रहा है। ताकि इस दौरान खून की कमी कोई गर्भवती महिलाओं को नुकसान न हो।

(11) **नौकरी में महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण** - स्थानीय निकायों के चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है जिससे महिलाऐं राजनीति के क्षेत्र में भी आगे आऐं और महिलाओं के विकास के लिए ठोस कदम उठा सकें।

(12) महिलाओं के समान की रक्षा के लिए शौचालय निर्माण के माध्यम से खुले में शौच से मुक्ति का अभियान चल रहा है। यह अभियान महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की दृष्टि से चलाया जा रहा है।

(13) **जननी सुरक्षा योजना** - इस योजना के तहत् गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की महिला अस्पताल में प्रसव कराती है तो ग्रामीण क्षेत्र में 1400/- एवं शहरी क्षेत्र में 1000/- नगद दिये जाते हैं ताकि प्रसव घर पर न हो और प्रसव के दौरान किसी महिला की मृत्यु न हो।

(14) **गोद भराई योजना** - गर्भवती महिला को पूरी सुरक्षा के लिए आँगनवाड़ी केन्द्र पर पंजीयन कराकर गोद भराई योजना का लाभ दिया जाता है। उपहार रूप में मातृ शिशु रक्षा कार्ड एवं आयरन की गोलियाँ दी जाती हैं। प्रति मंगलवार गाँव, शहर की गर्भवती महिलाओं की गोद भराई होती है। यह योजना 2006 से प्रारंभ की गई है।

(15) **पूरक पोषण आहार योजना** - इस योजना के तहत् मीठे एवं नमकीन व्यंजन 6 साल तक के बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को दिये जाते हैं। म.प्र. में पैंतीस वर्ष के इतिहास में पहली बार दलिया के स्थान पर बीस तरह के व्यंजनों में से चुने हुए व्यंजनों में से लोकल फूड मॉडल के आधार, पर फूड प्रदान किये जाते हैं। इसका उद्देय अतिरिक्त पोशण तत्व, प्रोटीन तथा कैलोरी प्रदान करना है।

(16) **अति गरीब महिलाओं को प्रसव पूर्व सहायता राशि** - सहायता स्वरूप 6 माह पूर्व 500/- की सहायता आँगनवाड़ी या स्वास्थ्य केन्द्र से दी जाती है।

(17) **प्रसव हेतु परिवहन एवं उपचार योजना** - राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं को अपने घर से अस्पताल तक जाने के लिए 300/- हैं और जो उन्हें इस कार्य के लिए प्रेरित जो करता है उसे 200/- मिलते हैं। यदि गर्भवती महिलाओं को किसी कारण से दूसरे अस्पताल भेजा जाता है तो उसे फिर से 300/- दिये जाते हैं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की सभी महिलाएँ इसका लाभ उठा रही हैं।

(18) **राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम** - सभी प्रकार के टीके शिशु एवं महिलाओं को निःशुल्क लगाये जाते हैं ताकि शिशु एवं महिलाएं रोगमुक्त हो सकें।

(19) **कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना** - अनुसूचित जाति की ऐसी कन्याएं जो 6वीं, 9वीं, 11वीं में प्रवेश ले रही हैं उन्हें सरकार 500/-, 1000/-, 2000/- प्रतिवर्ष उपलब्ध कराती है, ताकि बालिकाएं आगे की पढ़ाई करें।

(20) **समेकित बाल विकास परियोजना** - प्रदेश में 367 समेकित वाल विकास परियोजना तथा 69 हजार तथा 238 आँगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं प्रदेश के सभी ग्रामों, नगरों, निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में आँगनवाड़ी केन्द्र की सेवा दी जा रही है हर माँ एवं बच्चा स्वस्थ्य रहे इसके लिए हर गाँव में आँगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सुविधाएं एवं सेवाएं दी जा रही हैं छः साल तक के बच्चे एवं गर्भवती माताएं इसका लाभ ले रही हैं।

(21) **अन्न प्रशन योजना** - अन्न प्रशान योजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मंगलवार को मातृ एवं शिशु दिवस पर गांव की सभी महिलाओं को आमंत्रित करती हैं, केन्द्रों पर 6 माह पूर्णकरने वाले बच्चों को ऊपरी आहार दिया जाता है और आहार की महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जाती है।

(22) **जन्म दिवस योजना** - आंगनवाड़ी केन्द्रों पर माह विशेष में पड़ने वाले सभी बच्चों का सामुदायिक जन्म दिन बनाया जाता है।

(23) **इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना** - म.प्र. में यह योजना जुलाई 2011 से प्रारंभ हुई है इस योजना का उद्देश्य गर्भवती एवं छात्री महिलाओं को उनके बच्चे के जन्म के पूर्व एवं पश्चात् मजदूरी में होने वाली हानि आंशिक क्षतिपूर्ति, स्वास्थ्य एवं पोशण की स्थिति में सुधार लाना है, इस योजना में तीन किश्तों में 4000/- दिये जाते हैं।

(24) **स्मार्ट फोन वितरण योजना** - यह योजना 2014 से शुरू की गई है इस योजना के तहत् राज्य के 2 लाख 53 हजार 821 फोन वितरित हो चुके हैं।

(25) **मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना** - छात्राओं को उच्च शिक्षा की पढ़ाई जारी रहे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी एक नई योजना 12 जुलाई 2017 से लागू की गई है जिसमें मुख्यमंत्रे मेधावी विद्यार्थी योजना के नाम से संचालित की जा रही है इस योजना का लाभ उन विद्यार्थी को प्राप्त होगा जिन्होंने 12वीं की परीक्षा एम.पी. बोर्ड से 75 प्रतिशत एवं सी.बी.एस.ई. बोर्ड से 85 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं इस योजना का लाभ तकनीकि शिक्षा में भी प्राप्त होगा। इसमें आय सीमा 6 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।

उपरोक्त योजनाओं के साथ और भी कई प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं जो महिलाओं को पूर्ण सक्षम बनाने के लिए प्रयासरत् ही नहीं संघर्शरत् भी हैं।

उपरोक्त सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है ताकि महिलायें बापू के कथन को पूर्ण सिद्ध कर सकें, महात्मा गाँधीजी का कहना था कि - एक आदमी को पढ़ाओंगे तो एक व्यक्ति शिक्षित होगा। एक स्त्री को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। सभी कल्याणकारी योजनाओं में महिलाओं के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक की व्यवस्था परिलक्षित होती है। इतनी योजनायें हैं कि अगर सही ढंग से और ईमानदारी पूर्वक योजनाओं का क्रियान्वित किया जाता है तो मैं समझती हूँ कि कोई कारण नहीं जो उनके विकास में बाधा बन सके वैसे तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो महिलाओं ने पुरुषों को कई क्षेत्रों में पीछे छोड़ दिया है क्योंकि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो गई हैं और 84 प्रतिशत महिलायें आज घर के फैसले के निर्णय ले रही हैं। महिलायें आज से नहीं वर्षों पूर्व 16वीं सदी से रोजगार करने में जुड़ी हैं, 16वीं सदी 1533 में वना मणिपुर का इमा बाजार देश का नहीं संभवतः दुनिया का इकलौता ऐसा बाजार है जिसे महिलायें ही चलाती हैं और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां महिलायें प्रतियोगिता के माध्यम से व्यापार नहीं करती बल्कि उनकी दुकान पर जो सामान नहीं होता उस सामान के लिए ग्राहक को यथास्थान पता बताकर पहुंचा देती हैं

अर्थात् महिलायें पहले से ही सक्षम हैं उन्हें सहायता अर्थात् सरकार जो कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही हैं उनका सही लाभ सही हाथों तक पहुंच जाता है तो निश्चित महिलाओं की दशा-दिशा अपने आप सशक्त बन जाएगी अन्यथा हर योजना रेत में लिखने के समान हो जाती है। जिसे समुद्र की लहरें अपने साथ बहा ले जाएगी।

अंत में महिलाओं के उत्थान एवं उन्नयन के लिए चल रही म.प्र. सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में महिला संगठन, स्वसहायता समूह आँगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं ग्रामीण क्षेत्रों की वे महिलायें जो पढ़ी लिखी तो हैं पर किसी रोजगार से जुड़ी नहीं हैं और कुछ करना चाहती हैं तो वे महिलायें यदि इन योजनाओं का प्रचार-प्रसार का जिम्मा उठा ले तो हर गाँव में हर योजना का लाभ प्रत्येक बालिका एवं महिला को प्राप्त हो सकेगा और इन योजनाओं का मंतव्य अपने गंतव्य तक की विकास यात्रा को पूरी कर सकेगा और 2001 में बना राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण की सार्थकता भी सिद्ध होगी।

सन्दर्भ

1. दैनिक भास्कर - दिनांक 8 मार्च 2017 बुधवार मुख्य पृष्ठ
2. डॉ. चन्द्रशेखर - मानवाधिकार और महिलायें, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी 2011
3. नवभारत टाइम्स - 11 जनवरी 2015
4. आवागमन योजना का आदेश क्र. 149/2612/2009/2.38
5. Department of Public .. mpinfo.org.
6. संचालनालय महिला सशक्तिकरण, महिला एवं बाल विकास विभाग म.प्र.
7. दैनिक भास्कर दिनांक 5 मार्च 2017 बुधवार मुख्य पृष्ठ
8. महत्वपूर्ण योजना - www.mp.gov.in
9. अग्रवाल जे.सी. - समाज में नारी का स्थान शिक्षा प्रकाशक विद्या विहार, दिल्ली पृ. 11
10. मुख्य मंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का आदेश क्र. एफ/56/2017/42
11. सोनी एवं गुप्ता एम.एल. संजीव - महिला जागृति एवं सशक्तिकरण पब्लिक जयपुर 2005 पृ. 18-19
12. दैनिक भास्कर - दिनांक 08 मार्च, 2017 बुधवार।